

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. NORTHERN REGION-I B-9, QUTUB INSTITUTIONAL AREA KATWARIA SARAI, NEW DELHI, PH:011-26532934 CIN No. L40101DL1989GOI038121

Ref. No.: Power Grid/NR-I/RTI/1618 1995

Dt.05.06.2018

Subject: Transfer of RTI Application dt.14.05.2018 of Shri Rahul Jaswal S/o Shri Narender Jaswal, 125, Gandhi Nagar Ratlam MP Pin-457001 (Contact No.09907617174).

This has reference to RTI application dt.31.05.2018 of Shri Rahul Jaswal S/o Shri Narender Jaswal, 125, Gandhi Nagar Ratlam MP Pin-457001 (Contact No.09907617174) received in the office of undersigned under RTI Act-2005 on 04.06.2018. On going through the contents of the RTI Application vide which the information sought by the applicant it is emerged that content on which the information sought by him in his RTI application is may be pertains to Vigilance Department of POWEREGRID, CC, Gurugram. Therefore, RTI application (in original) of Shri Rahul Jaswal is hereby transferred to CPIO, CC, Gurugram.

It may also be intimated that the applicant has furnished the RTI application fee in the form of Postal Order No.44F 073861 of Rs.10/-. The same is also attached in original along with RTI application. This is for information and necessary action, please.

In the event the information sought by the applicant in the said RTI does not pertain to your Jurisdiction, this may immediately be sent to the appropriate Authority/CPIO that can be able to provide information within the stipulated time/period of RTI Act-2005. If no such communication is received in the office of undersigned it will be considered that the information sought by the applicant is available with you and your Jurisdiction.

Thanking you.

Yours faithfully,

05/06/

General Manager (PESM)

Designated CPIO, NR-1, POWERGRID,

New Delhi-110016

То

CPIO, CC
Power Grid Corporation of India Ltd.
Plot No.2, Sector-29, Saudamini
Gurugram-Haryana

26/c AC pmy 660

Copy to: Shri Rahul Jaswal S/o Shri Narender Jaswal, 125, Gandhi Nagar Ratlam MP Pin-457001 (Contact No.09907617174): for information and necessary coordination with CPIO. CC. Gurugram in future.

N.I.O.: General Manager (Vig.), NR-I: for information and necessary action if it may also pertains to Vigilance Department of NR-I.

1618 John John &

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

श्रीमान

लोक सूचना अधिकारी

महाप्रबंधक

उत्तरी क्षेत्र - 1,

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

बी -9, कुतुब संस्थागत क्षेत्र,

कटवारिया सराई, नई दिल्ली पिन कोड- 110016

1	आवेदक	राहुल जसवाल
2	पिता / पति का नाम	नरेंद्र जसवाल
3	पत्राचार का पता	125 GANDHI NAGAR RATLAM MP PIN- 457001
	:0-0-	CONTACT NO- 9907617174
4	मांगी गयी सचना :	

निम्न लिखित सूचना बिंदुवार प्रदान करें

नियम आयोग के अनुसार केमिकल,कॉम्प्यूटर ,सिविल इंजीनियरिंग सतकता विभाग का पंचनामा बनाने के लिए वैद्य है या नही!! व निरीक्षक करके पंचनामा बनाया व उस पंचनामे का बिल किसी अन्य अधिकारी ने बनाया हो तो यह विधि अनुसार मान्य है कि नही!!

आप से आग्रह है की मुझे सूचना रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रदान करें।

नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान देने योग्य हैं।

1. यदि मेरे द्वारा मांगी गयी सूचना किसी दूसरे लोक सूचना अधिकारी के पास से उपलब्ध होगी तो, आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा (6) उपधारा (3) के तहत मेरा आवेदन, आपके कार्यालय में मिलने के 5 दिन के अंदर, आवेदन शुल्क सहित दूसरे लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करके आवेदन की एक प्रति मुझे उपलब्ध करने की कृपा करें।

2. यदि मांगी गयी सूचना उपलब्ध करने का खर्च अधिक है तो आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा (7) उपधारा (3) के तहत अतिरिक्तक मांगी गयी राशि के लिए मुझसे संपर्क करें तथा अतिरिक्त राशि किस वजह से ली जायगी, सूचना

दस्तावेज में कितने पृष्ट हैं और मुख्यतः राशि का भुगतान किसके पक्ष में करना है, बताने की कृपा करें।

3. श्रीमान से आग्रह है की आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा (5) उपधारा (3) के तहत, सूचना लेने में मेरी सहायता करें।

4. श्रीमान से आग्रह है की आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा 7(8)(iii) and 7(3)(ii) के तहत मुझे सूचना देने के

साथ साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम पद नाम व पता भी बताएं।

- 5. श्रीमान से आग्रह है की आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा 7(1) के तहत आवेदन में मांगी गयी सूचना मेरा आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर प्रदान करें।
- 6. अगर श्रीमान RTI आवेदन मिलने के 30 दिनों में सूचना देने में असमर्थ रहेंगे तो आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा 7(2) के तहत ये समझा जायगा की श्रीमान ने सूचना देने से मना किया है और भविष्ये में सूचना आयोग में अपील होगी तो उसमें जवाबदेही उनकी होगी के उन्होंने सूचना देने से जानबूझ कर मना किया तथा आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा 7(2) का उल्लंघन किया और सूचना आयोग इस पर उचित करवाई करेगा और जुर्माना भी करेगा।

- 7. आर टी आई अधिनियम 2005 की धरा 7(1) के तहत अगर श्रीमान आवेदन प्राप्त करने के 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहेंगे तो उसके बाद मुझे पूर्ण सूचना निहं शुल्क प्रदान की जायगी।
- 8. आर टी आई अधिनियम 2005) की धरा 7(8) के तहत अगर मेरा आवेदन निरस्त किया जारहा है तो सिर्फ निरस्त ना करें बल्कि निरस्त करने का पूरा कारन लिखित रूप में बताएं।

मुझे आशा है की श्रीमान उपरोक्त RTI अधिनियम, धरा व उपधारा को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन का निराकरण अति शीघ्र करेंगे।

5 घोषणा: मै भारत का एक नागरिक हूँ और उपरोक्त सूचना एक भारतीय होने के नाते मांग रहा हूँ

6

दिनांक: 31-05-2018

संलग्न: IPO No. 44F 073861

Robot.

(राहल जसवाल)